तीन दिवसीय कृषि मेला एवं मिलेट फूड फेस्टिवल का हुआ भव्य शुभारम्भ

मिलेट्स के स्वास्थ्य लाभों की मिली जानकारी, मिलेट्स व्यंजनों का उठाया आनंद

नवभारत न्यूज

छिंदवाड़ा. जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग द्वारा आयोजित तीन दिवसीय जिला स्तरीय कृषि मेला एवं मिलेट फूड फेस्टिवल सह रोड शो 2026 का गुरुवार को दशहरा मैदान में भव्य शुभारम्भ हुआ। शासन के निर्देशानुसार श्री अन्न (मिलेट्स) फसलों जैसे कोदो, कुटकी, सवां, ज्वार, बाजरा एवं रागी के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं विपणन को बढ़ावा देने तथा कृषकों, युवाओं, उद्यमियों, एफपीओ और उपभोक्ताओं को जोड़ने के उद्देश्य से इस जिला स्तरीय तीन दिवसीय कृषि मेला एवं मिलेट्स फूड फेस्टिवल का आयोजन पोला ग्राउंड में 26 से 28 फरवरी 2026 तक प्रात: 11 से रात्रि 9 बजे तक किया जा रहा है। मेले की औपचारिक शुरूआत कलेक्टर हरेंद्र नारायन, पुलिस अधीक्षक अजय पाण्डेय, नगर निगम महापौर विक्रम अहके, शेषराव यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुन्हार और मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड भोपाल श्रीमती सी.सरस्वती द्वारा रिबन काटकर की गई। पूजा अर्चन के साथ कार्यक्रम की पारंपरिक शुरूआत की गई। जिसके बाद राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सामूहिक गायन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शेषराव यादव ने सभी से अपने दैनिक जीवन में मिलेट व्यंजनों को शामिल कर स्वस्थ्य रहने की अपील की। महापौर विक्रम अहके ने जिले में आयोजित मिलेट फेस्टिवल की सराहना करते हुए जिले के सभी किसानों से इस मेले और कृषकों के लिए शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग द्वारा समस्त जिलावासियों से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में परिवार सहित मेले में सम्मिलित होकर मिलेट्स व्यंजनों का आनंद लें और उनके स्वास्थ्य लाभों की जानकारी प्राप्त करें।

30 से अधिक मिलेट्स व्यंजनों के स्टॉल

मेले में जिले के एफपीओ, स्व-सहायता समूह, एनजीओ एवं निजी संस्थाओं द्वारा 30 से अधिक फूड स्टॉल लगाए गए हैं। प्रमुख रूप से पातालकोट की रसोई एवं वनभोज की रसोई द्वारा मक्के की रोटी, टमाटर की चटनी, बैंगन भर्ता, कुटकी चावल, मिलेट्स चीला/डोसा, रागी सूप, मक्के की भेल, कुटकी की खीर, महुआ की पूड़ी, मक्के का खूद, महेरी, लडडू मकर संक्रांति विशेष मिठाइयाँ एवं बाजरे की खिचड़ी जैसे देशी व्यंजन आमजन के लिए उपलब्ध हैं। विभिन्न स्टॉलों पर ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी एवं रागी से बने व्यंजनों का विक्रय किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिले में उत्पादित चिरौंजी की बर्फी, स्ट्रॉबेरी, शहद, कच्ची घानी का तेल, गुड़ पाउडर एवं क्यूब, कोदो-कुटकी चावल आदि के स्टॉल आकर्षण का केंद्र हैं।

तकनीकी मिलेट्स गैलरी और सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे आकर्षण

मेले में तकनीकी मिलेट्स गैलरी बनाई गई है, जिसमें युवाओं एवं शहरवासियों को मिलेट्स के पोषण महत्व से अवगत कराया जा रहा है तथा उन्हें दैनिक भोजन में शामिल करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ऑरेंज फेस्टिवल के तहत नाबार्ड समर्थित एफपीओ द्वारा ऑरेंज स्टॉल लगाए गए हैं। तीन दिवसीय आयोजन के दौरान आदिवासी अंचलों की संस्कृति को लोकगीत एवं लोकनृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।

विभिन्न विभागों की सहभागिता से सफल आयोजन

मेला स्थल पर कृषि विभाग द्वारा मिलेट्स एवं जैविक/प्राकृतिक उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई है। वन विभाग द्वारा 'वन भोज रसोई' के माध्यम से मिलेट्स व्यंजन प्रस्तुत किये जा रहे हैं। उद्यानिकी विभाग द्वारा फ्लावर शो, टेरिस गार्डनिंग एवं प्रदर्शनी आयोजित की गई है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा दुग्ध उत्पाद, शुद्ध प्राकृतिक घी एवं एटू मिल्क के स्टॉल लगाए गए हैं। एनआरएलएम समूहों द्वारा जैविक उत्पाद, मिलेट्स व्यंजन, जैविक गुलाल, गो-कास्ट उत्पाद एवं टेराकोटा सामग्री विक्रय के लिए उपलब्ध कराई गई है । नगर पालिक निगम द्वारा 'वेस्ट टू बेस्ट' थीम पर स्टॉल लगाये गये हैं।

नगर निगम अमले ने ध्वस्त किया मकान

छिंदवाड़ा. शहर के वार्ड क्रमांक 9 खेरी भोपाल क्षेत्र में शासकीय भूमि पर बनाए गए अवैध मकानों के विरुद्ध निगम अमले ने पुलिस प्रशासन के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। जानकारी के अनुसार मोहराली चौक से लहगुड़वा जाने वाले मार्ग पर पहाड़ी मद की जमीन पर कब्जा कर कुछ लोगों द्वारा मकानों का निर्माण कर लिया गया था। मामले की शिकायत मिलने के बाद राजस्व विभाग एवं नगर निगम विभाग द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया, जिसमें निर्माण अवैध पाए गए। पटवारी ने पंचनामा तैयार करते हुए अधिकारियों को अवगत कराया था इसके पश्चात नियमानुसार संयुक्त कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार, नगर निगम के सहायक यंत्री एवं मुख्यालय प्रभारी ब्रजेश पांडेय सहित निगम का अमला मौजूद रहा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

एफ.डी.डी.आई. में 'आरोहण 2026' के तीसरे दिन रोमांचक मुकाबले

छिंदवाड़ा/ एफ.डी.डी.आई. में आयोजित इंटर कैंपस खेल प्रतियोगिता के तीसरे दिन विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस खेल प्रतियोगिता में लंबी कूद पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान हरिहरन (हैदराबाद कैंपस), द्वितीय स्थान आदर्श शुक्ला (फुरसतगंज कैंपस) एवं तृतीय स्थान राहुल यादव (गुना कैंपस) ने प्राप्त किया। शतरंज प्रतियोगिता में देवांश गुप्ता (हैदराबाद कैंपस) विजेता एवं निवास एस. (चेन्नई कैंपस) उपविजेता रहे। कैरम (एकल) प्रतियोगिता में अभिषेक ए. (चेन्नई कैंपस) विजेता तथा हर्षल पंडोले (छिंदवाड़ा कैंपस) उपविजेता रहे। वहीं कैरम (डबल्स) प्रतियोगिता में हर्षल पंडोले व मो. हसनेन (छिंदवाड़ा कैंपस) की जोड़ी विजेता रही, जबकि रोहित व आशीष (नॉएडा कैंपस) उपविजेता रहे। बैडमिंटन महिला वर्ग (डबल्स) में नॉएडा कैंपस की टीम विजेता एवं चेन्नई कैंपस की टीम उपविजेता रही। टेबल टेनिस सिंगल पुरुष वर्ग में भागवत मरावी (छिंदवाड़ा कैंपस) एवं सिडक्श सिंह (नॉएडा कैंपस) के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाना निर्धारित हुआ है। टेबल टेनिस डबल्स का मुकाबला रोहतक एवं नॉएडा कैंपस के बीच खेला जाएगा। क्रिकेट प्रतियोगिता में सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। पहला मुकाबला छिंदवाड़ा कैंपस और गुना कैंपस के बीच हुआ, जिसमें छिंदवाड़ा कैंपस 5 विकेट से विजेता रहा। इस मैच में मैन ऑफ द मैच क्रिश विश्वकर्मा रहे। दूसरा सेमीफाइनल नॉएडा कैंपस और रोहतक कैंपस के बीच खेला गया, जिसमें नॉएडा कैंपस 27 रनों से विजेता रहा। इस मैच में मैन ऑफ द मैच सहेब हसन रहे। अब फाइनल मुकाबला छिंदवाड़ा कैंपस एवं नॉएडा कैंपस के बीच खेला जाएगा।

गंदगी मिलने पर रेस्टोरेंट का लाइसेंस निलंबित

छिंदवाड़ा. मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत होली त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से संपूर्ण जिला में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा विगत एक सप्ताह से लगातार खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण एवं नमूना कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गत दिवस बुधवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोपेश मिश्रा द्वारा मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के सामने स्थित गोपालजी रेस्टोरेंट, नोमान रेस्टोरेंट एवं गरबा स्वीट्स आदि प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गोपालजी रेस्टोरेंट के किचन में भोजन निर्माण स्थल पर अत्यधिक गंदगी पाई गई। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिये रखी गई आलमारी में भारी मात्रा में गुच्छों के रूप में कॉकरोच पाए गए तथा भुनगे कीड़े घूमते मिले। साथ ही मकड़ी के जालों के बीच खाद्य सामग्री रखी हुई पाई गई। जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा तत्काल प्रभाव से होटल में खाद्य सामग्री के निर्माण एवं विक्रय पर रोक लगा दी गई तथा होटल का खाद्य लाइसेंस तत्काल निलंबित कर दिया गया। अब इस होटल में खाद्य पदार्थों का निर्माण एवं विक्रय तभी प्रारंभ किया जा सकेगा, जब समुचित साफ-सफाई कर खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। सुधार उपरांत ही लाइसेंस पुन: बहाल किया जाएगा। वर्तमान में होटल ग्राहकों के लिए पूर्णत: बंद है। इसी रेस्टोरेंट से पनीर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, तुअर दाल, चावल एवं आटा के नमूने जांच के लिये लिए गए। एक अन्य टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज कुमार घाघरे द्वारा अमरवाड़ा के सिंगोड़ी क्षेत्र में अपना होटल, चंद्रवंशी होटल एवं जैन किराना का निरीक्षण कर नमकीन और खोवा के नमूने लिए गए। उपरोक्त सभी नमूनों को जांच के लिए भोपाल भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यदि नमूने अमानक स्तर के पाए जाते हैं तो संबंधित व्यापारियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर की संवेदनशीलता से दिव्यांग दंपति का घर फिर विद्युत रोशनी से जगमगाया

आर्थिक तंगी के चलते दो वर्षों से अंधेरे में जीवन यापन कर रहे थे दिव्यांग दंपति

नवभारत न्यूज,

पांढुर्णा 26 फरवरी, ग्राम धावडी खापा की एक दिव्यांग दंपति अपनी आर्थिक तंगी के चलते बिजली बिल की राशि जमा नहीं कर पाने से अंधेरे में ही जीवन यापन कर रहे थे,इस बात की जानकारी लगते ही जिला कलेक्टर द्वारा मानवीय संवेदनशीलता का उदाहरण पेश कर स्वयं अपने पास से बिजली बिल की राशि जमा कराई जिसके बाद इस दिव्यांग दंपति का घर फिर से रोशन हुआ।

आर्थिक तंगी के चलते जमा नहीं कर पा रहे थे बिजली बिल

नगरीय सीमा से लगे ग्राम पंचायत सिवनी के धावडी खापा में रहने वाले दीपक वंजारी तथा इसकी धर्मपत्नी दिव्यांग है,उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने से यह अपने पुश्तैनी जिर्ण-शिर्ण हो चुके कच्चे मकान में किसी तरह जीवन यापन कर रहे है,यहां तक की आर्थिक तंगी के चलते यह बीते दो वर्षों से नियमित रूप से बिजली बिल की राशि भी जमा नहीं कर पा रहे है। इसके चलते विद्युत विभाग द्वारा इस दीपक वंजारी दिव्यांग दंपति का बिजली कनेक्शन काट दिया था,जिसके कारण यह दिव्यांग दंपति बीते लगभग दो वर्षों से भी अधिक समय से अंधेरे में ही जीवन यापन कर रहे थे।

विभाग ने काटा था दिव्यांग का विद्युत कनेक्शन ..

इस बात की जानकारी जिला कलेक्टर के संज्ञान में आते ही इन्होंने भारी नाराजगी व्यक्त करते हुए विभाग के अधिकारियों को तलब कर जब इस संदर्भ में पूछताछ की गई तो बताया गया है इस विद्युत उपभोक्ता दीपक वंजारी द्वारा बीते दो वर्षों से इन पर बकाया 1691 रुपए की राशि जमा ही नहीं कि गई,इसी के चलते नियमानुसार कार्यवाही कर उपभोक्ता दीपक वंजारी का विद्युत कनेक्शन अस्थाई रूप से बंद किया गया है ।

कलेक्टर के मानवीय संवेदना की सर्वत्र सराहना

जिला कलेक्टर की इस पहल पर न केवल दिव्यांग दंपति के जीवन में रोशनी लौटी बल्कि समाज में मानवीय संवेदना और जिम्मेदारी का सकारात्मक संदेश भी गया है। जिसकी सर्वत्र मुक्त कंठ से सराहना की जा रहीं है ।

कलेक्टर द्वारा स्वयं जमा कराई दिव्यांग दंपति के बिजली बिल की राशि

जिला कलेक्टर द्वारा इस दिव्यांग दंपति के प्रति मानवीय संवेदनशीलता का उदाहरण पेश करते हुए जिला कलेक्टर द्वारा स्वयं इस दिव्यांग दंपति दीपक वंजारी पर बकाया विद्युत बिल की राशि 1691 रुपए की राशि विद्युत विभाग में जमा कराते हुए विभाग के अधिकारियों को तत्काल इस दिव्यांग दंपति का विद्युत कनेक्शन फिर से शुरू कराने के निर्देश दिए ।

कनिष्ठ अभियंता ने स्वयं दिव्यांग के घर पहुंचकर शुरू की विद्युत सप्लाई

ग्राम धावडीखापा निवासी दिव्यांग दंपति दीपक वंजारी की बिजली बिल की बकाया पूरी राशि जमा होने तथा जिला कलेक्टर के निर्देश पर स्वयं कनिष्ठ अभियंता कमलेश टेकाम विभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ दीपक वंजारी के घर पहुंचकर विद्युत कनेक्शन फिर से जोड़ते हुए पूर्ववत विद्युत आपूर्ति शुरू की गई। जिससे फिर से दीपक वंजारी का घर विद्युत रोशनी से जगमगा उठा ।

ग्राम गुरैया में सात दिवसीय विशेष शिविर का सफलतम समापन

छिंदवाड़ा. उद्यानिकी महाविद्यालय द्वारा ग्राम गुरैया में सात दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन 18 फरवरी से 24 फरवरी तक किया गया। शिविर का आयोजन अधिष्ठाता उद्यानिकी महाविद्यालय डॉ. आर.सी. शर्मा, जिला समन्वयक रा.स.यो. रविंद्र नाफड़े तथा एनएसएस प्रभारी डॉ. श्रीमती शिखा शर्मा के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। शिविर के प्रथम दिवस प्राकृतिक खेती जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें डॉ. आर.सी. शर्मा, डॉ. महाराज, डॉ. हेमलता अहिरवार एवं डॉ. शिखा शर्मा ने ग्रामसभा को प्राकृतिक खेती के विषय में संबोधित किया। द्वितीय दिवस स्वयंसेवकों द्वारा स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई तथा खेड़ापति मंदिर परिसर की साफ-सफाई की गई। तृतीय दिवस स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ.

न्यायालय तहसीलदार पांढुर्णा, जिला पांढुर्णा (म.प्र.)

-:आम इश्तेहार :-

रा.प.क्र. /अ-27/2025-26
मौजा :- बम्हनी, प. ह. नं. 53,
तहसील एवं पांढुर्णा (म.प्र.)

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, आवेदकगण सुनील पिता जंगल्या सावदे, सुनिता बेवा किसना सावदे, निखिल पिता किसना सावदे, पता संतोषी माता वार्ड पांढुर्णा, तहसील एवं जिला पांढुर्णा (म.प्र.) के द्वारा आवेदन पत्र पेश कर लेख किया गया है कि मौजा बम्हनी, बं. नं. 263, प. ह.नं. 53. तहसील एवं जिला पांढुर्णा (म.प्र.) के राजस्व अभिलेखों में आवेदकगणों की पैत्रिक भूमि, शामिलशरीक खातेदार सुनील, गंगाधर, किसना पिता जंगल्या, जाति कुनबी, पता पांढुरना के नाम से खाते में खसरा नम्बर 621 रकबा 0.0120 हे. लगान 0.05 रूपये भूमि, भूमिस्वामी मद में दर्ज है। उपरोक्त आवेदित भूमि के सहखातेदार गंगाधर पिता जंगल्या की दिनांक 10/08/2003 को लाऔलाद मृत्यु हो चुकी है तथा सहखातेदार किसना पिता जंगल्या की दिनांक 04/09/2022 को मृत्यु हो चुकी है। लेख किया गया है कि आवेदकगण उपरोक्त आवेदित भूमि के राजस्व रिकार्ड से किसना की मृत्यु हो जाने के कारण उसका नाम विलोपित कर उसके विधिक वारसान सुनीता बेवा किसना सावदे, निखिल पिता किसना सावदे का नाम वारसाना हक में दर्ज कराना चाहतें है, तथा सहखातेदार गंगाधर पिता जंगल्या की अविवाहित स्थिति में एवं, लाऔलाद मृत्यु होने के कारण, शेष सहखातेदार निकटतम वारसान्त होने के कारण, गंगाधर पिता जंगल्या का नाम विलोपित करना चाहतें है। इसके अलावा आवेदकगण यह भी चाहतें है कि आवेदकगणों के द्वारा उपरोक्त आवेदित भूमि के मौके पर जमीन की किस्म एवं गुणवत्ता के आधार पर भूमि का बटवारा कर लिया है। तदानुसार राजस्व अभिलेखों में खाते का विभाजन करना चाहतें है। इस बाबत् इस न्यायालय में आवेदन पत्र पेश किया है।

उपरोक्त प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतएव उपरोक्त आवेदित भूमि के राजस्व अभिलेखों से गंगाधर पिता जंगल्या के कोई वारसान नहीं होंने तथा आवेदकगण ही उसके निकटतम वारसान होने के कारण आवेदित भूमि से गंगाधर पिता जंगल्या का नाम विलोपित किया जाने में एवं आवेदकगणों के मध्य खाते का विभाजन किया जाने में, यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह नियत पेशी तारीख 11/03/2026 को या इसके पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति पेश कर सकता है। उक्त समय अवधि पश्चात प्राप्त होने वाले दावे / आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

पेशी दिनांक -11/03/2026
जारी दिनांक -23/02/2026

विनय कुमार ठाकुर
तहसीलदार पांढुरना

कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग क्रमांक 01 छिन्दवाड़ा

email-eereschhindwara@mp.gov.in

क्रमांक/2415/निविदा/ग्रायासे/2026 छिन्दवाड़ा दिनांक 19/02/2026

संक्षिप्त निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 04/2025-26

म0प्र0 के राज्यपाल की ओर से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कमांक 01 छिन्दवाड़ा कें अंतर्गत निम्नांकित निर्माण कार्यों हेतु केन्द्रीयकृत ई-पंजीयन व्यवस्था अंतर्गत सिविल श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से सिविल निर्माण कार्य हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग की दिनांक 11.04.2022 से प्रभावशील दर अनुसूची सूची (निविदा विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक तक संशोधित) प्रतिशत दर पर एवं संभाग अन्तर्गत बिजली फिटिंग कार्य हेतु केन्द्रीकृत पंजीकृत विद्युत ठेकेदार श्रेणी 'ए' द्वारा निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग की दिनांक 01.01.2024 से प्रभावशील दर अनुसूची (निविदा विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक तक संशोधित) लागू होगी। तालिका के कॉलम क्रमांक 5 में अंकित पीएसी अनुसार 02 लिफाफा पद्धति में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा निविदा प्रपत्र एपेडिक्स 2.10 में निर्धारित तिथि (Key Date) अनुसार आनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है आमंत्रित निविदा शासन के पोर्टल http://mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है। निविदा संशोधन से संबंधित जानकारियां आनलाईन देखी जा सकती है। पृथक से प्रकाशित नही की जाएगी।

विवरण निम्नानुसार है-

क्रं.	सिस्टम टेंडर न.	कार्य का नाम	खण्ड विकास	निविदा लागत पीएसी (लाखों में)	अमानत राशि (रूपये में)	निविदा प्रपत्र मूल्य का	समयावधि (वर्षाकाल सहित)	आमंत्रण क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2026_RES_484061	शासकीय हाई स्कूल भवन निर्माण कार्य अहरवाडा में बिजली फिटिंग कार्य ग्राम अहरवाडा	हर्रई	9.20	46020.00	2000.00	90 दिवस	प्रथम
2	2026_RES_484062	नवीन कलेक्टर ग्राम पंचायत भवन निर्माण कार्य वनगांव में बिजली फिटिंग कार्य ग्राम वनगांव	पाढुर्णा	2.07	10358.00	2000.00	45 दिवस	प्रथम
3	2026_RES_484063	संत रविदास म.प्र. हस्तशिल्प एवं हथकरधा विकास निगम मर्यादित सौंसर में मरम्मत कार्य ब्लाक सौंसर	सौंसर	3.08	15399.00	2000.00	45 दिवस	प्रथम

निविदा संबंधित तिथियाँ- (Key Dates)

1- Date of Publishing of Tender/Document Download/Sale Start Date	27 02.2026	(11:00AM)
2- Technical Bid Submission & Date	02 03.2026	(05:00PM)
3- Document Download / Sale End Date / Bid Submission Date	09.03.2026	(05:00PM)
4- Bid Openning Date	13.03.2026	(11:00AM)

बिड जमा करते समय प्रस्तुत किये जाने वाले अनिवार्य दस्तावेज

Cover लिफाफा-A

1. जीवित केन्द्रीयकृत ई-पंजीयन प्रमाण पत्र, **2.** जीवित जीएसटी प्रमाण पत्र, **3.** पैन कार्ड की प्रति, **4.** पोर्टल से ऑन लाईन निविदा प्रपत्र कय करने की ई-रिसिप्ट (स्व प्रमाणित), **5**- शपथ पत्र राशि रू0 1000/- की मूल प्रति स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है। (मय नोटरी) प्रत्येक कार्य के लिये पृथक-पृथक प्रोफार्म-बी (Anne&ure-B), **6**- ठेकेदार/फर्म का विवरण (Anne&ure-H), **7.** अमानत राशि (एफडीआर) ऑन लाईन के रूप में मान्य रहेगी जो कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग क्रमांक-1 छिन्दवाड़ा के पक्ष में देय हो कि ई-रिसिप्ट, **8.** कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन

Cover लिफाफा-C निविदाकार द्वारा निविदा दर जो कि ऑन लाईन ही प्रस्तुत करनी होगी ।

G-26464/25

कार्यपालन यंत्री
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
संभाग क्रमांक एक छिन्दवाड़ा

कार्यालय नगर पालिक निगम, खण्डवा

पता- आजाद भवन टाउन हॉल खंडवा, 450001 दूरभाष-0733 2223523
ईमेल- commkhanndwa@mpurban.gov.in

क्रमांक / भण्डार / 202 / 339 खण्डवा दिनांक 10/02/2026

वार्षिक निविदा विज्ञप्ति

संबंधित क्षेत्र के सामग्री प्रदाताओं से निम्नलिखित सामग्री प्रदाय के लिए ई-निविदा प्रकिया में माध्यम से दरें आमंत्रित की जाती है। विस्तृत, कार्य से संबंधित समस्त अर्हताए एवं आवश्यक दस्तावेज www.mptenders.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

क्र.	निविदा क्रमांक	सामग्री का विवरण	अनुमानित लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य	अमानत राशि
1	2026_UAD_485330_1	Supply of ISI marked HAVELLS /PANASONIC /WIPRO/BAJAJ/PHILLIPS/ ANCHOR/OREVA SURYA / Crompton / V Guard / Poly cab Company Make Electric Material as per the list provided in BoQ including all duties and Taxes	50 लाख	5000/-	50000/-

निविदा ऑनलाइन क्रय तथा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि - 27/02/2026 सांय 6 बजे तक
तकनीकी निविदा खोलने की तिथि - 01/04/2026 प्रातः 10 बजे

आयुक्त
नगर पालिक निगम, खण्डवा

कलेक्टर की पहल पर 'ग्रीन होली' का संदेश, होलिका दहन में गोबर की लकड़ी के उपयोग का आह्वान

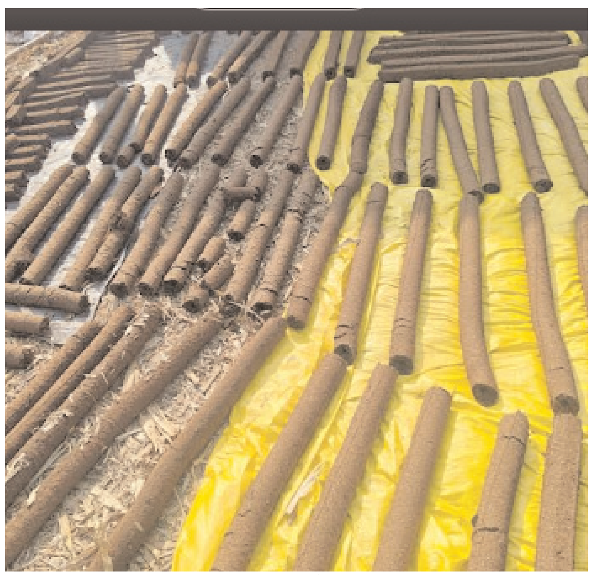

नवभारत न्यूज

पांढुर्णा, 26 फरवरी, इस वर्ष होली के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक पहल करते हुए कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ ने नागरिकों से अपील की है कि होलिका दहन के लिए पेड़ों की लकड़ियां काटने के बजाय 'गोबर की लकड़ी' (गुलारी/कंडे) का उपयोग करें। यह पहल सौसर से प्रारंभ की गई है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना है।

कलेक्टर श्री वशिष्ठ ने संदेश में कहा कि इस बार की होली में हम एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। एक होलिका दहन में कई पेड़ कट जाते हैं, जबकि गोबर की लकड़ी के उपयोग से जंगलों को बचाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक रूप से गोबर के जलने से निकलने वाला धुआं हवा के हानिकारक बैक्टीरिया को समाप्त करने में सहायक होता है और वातावरण को शुद्ध करता है। साथ ही इसकी राख एक बेहतरीन प्राकृतिक खाद के रूप में उपयोगी है, जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाती है।

कलेक्टर श्री वशिष्ठ ने यह भी कहा कि जब नागरिक गोबर की लकड़ी खरीदते हैं तो वे सीधे तौर पर गौशालाओं के स्वावलंबन में सहयोग करते हैं। यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि हमारी संस्कृति और गौ-माता के प्रति सम्मान का प्रतीक भी है। उन्होंने कहा कि जिन पेड़ों की छांव में हम बड़े हुए, क्या उन्हीं को काटकर त्योहार मनाना उचित नहीं है, होली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, इसलिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाली प्रवृत्ति को त्यागकर 'ग्रीन होली' मनाना समय की मांग है। गोबर की लकड़ी कहाँ से प्राप्त करें?

नागरिक अपनी नजदीकी नगर पालिका से संपर्क कर गोबर की लकड़ी/कंडे प्राप्त कर सकते हैं। प्रशासन द्वारा इसके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं।कलेक्टर श्री वशिष्ठ ने समस्त नागरिकों से अपील की है कि इस बार 'ग्रीन होली' मनाएं— एक कदम प्रकृति की ओर, एक कदम शुद्धता की ओर।

पीबीएम पॉलीटेक्स लिमी .

(युनिट : बीएलपी सूपर स्पिनर्स)
16-19, सेक्टर-बी, एमपीआयडीसी, खैरीतायगांव-बोरगांव,
तह . सौसर, जिला . पांढुर्णा (म .प्र .) 480 106

प्रति,
श्री सुरेशचंद पिता रामलक्ष्मण सिंह (तिकीट नं. 2229)
मु.पो. बोरगांव, वार्ड नं. 18, बजरंग कॉलनी,
तह. सौसर, जि. पांदुर्णा (मध्यप्रदेश)

पीबीएम/ई.एन./2026/01
दिनांक: 26/02/2026

विषय: गृह जाँच कार्यवाही -सूचना पत्र

प्रबंधन द्वारा आपको आरोप पत्र क. पीबीएम/सी.एस/2026/01 दि. 02/02/2026 जारी किया गया था। उपरोक्त आरोप पत्र दि. 03/02/2026 को नवभारत समाचार पत्र में प्रकाशीत किया गया था तथा रजि. एडी. पोष्ट द्वारा आपके निवासी पते पर भेजा गया था। उपरोक्त आरोप पत्र के संदर्भ में आपने आज तक जवाब/स्पष्टीकरण प्रस्तुत नही किया है। दुराचरण की गंभीरता एंव उत्पादन/अनुशासन पर होने वाले विपरीत परिणाम को ध्यान में रखकर आपके विरुध्द लगाये गये आरोपों की जाँच करने के लिये गृह जाँच कार्यवाही करने का निर्णय लिया है।

गृह जाँच कार्यवाही करने हेतु श्री सचिन पिता सुभाषचंद्र बत्रा (अधिवक्ता), मु. बसंत कॉलोनी, छिंदवाडा को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

जाँच अधिकारी के आदेशानुसार समाचार पत्र में प्रकाशीत एंव रजि. एडी. पोष्ट द्वारा आपको सुचित किया जाता है कि, आपकी गृह जाँच कार्यवाही की बैठक दि.07/03/2026 को सुबह 11.30 बजे स्थान पीबीएम पॉलीटेक्स लिमी., बोरगांव के प्रांगण में टाईम ऑफिस के उपर वाले हॉल में की जावेगी। आप अपने बचाव प्रतिनिधी एंव बचाव समस्त दस्तावेजो के साथ जाँच कार्यवाही में उपस्थित रहकर जॉच कार्यवाही में सहयोग प्रदान करे। ज्ञातव्य हो की बिना सूचना या बिना उचित कारण के अनुपस्थिति की दशा में आपके विरुध्द एकपक्षीय कार्यवाही की जा सकती है।

Head (HR&IR)

यूको बैंक UCO BANK

(भारत सरकार का उपक्रम) सम्मान आपके विश्वास का
(A Govt. of India undertaking) Honours Your Trust

वर्धा रोड शाखा, नागपूर

कब्ज़ा नोटिस [नियम-8(1)] (चल संपत्ति के लिए)

जबकि,

अधोहस्ताक्षरी, जो कि यूको बैंक के अधिकृत अधिकारी हैं, तथा वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 54, वर्ष 2002) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धारा 13(12) सहपठित नियम 3, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अधीन, दिनांक 23-07-2025 को एक मांग सूचना जारी की गई। उक्त मांग सूचना के माध्यम से उधारकर्ता **मेसर्स सिया पैक एन सील (भागीदार-1: श्री. मनीष ज्ञानेश्वर हिवसे तथा भागीदार-2: श्रीमती योगिता मनीष हिवसे)** को निर्देशित किया गया कि वे सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान करें, जो कि **दिनांक 01-07-2025 तक रु. 3,66,99,495.95/- (रुपये तीन करोड़ छासठ लाख निन्यानवे हजार चार सौ पंचानवे और पंचानवे पैसे मात्र) (01-07-2025 तक के ब्याज सहित)** तथा अप्रयुक्त ब्याज एवं अन्य प्रभार/शुल्क सहित, उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 (साठ) दिनों की अवधि के भीतर ।

उधारकर्ता द्वारा उक्त राशि का भुगतान न करने के कारण, एतद् द्वारा उधारकर्ता तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) सहपठित नियम 8, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, **दिनांक 20 फरवरी 2026** को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

उधारकर्ता/जमानतदारों को विशेष रूप से तथा सामान्य जनता को सर्वसाधारण रूप से एतद्द्वारा सुचित किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति के संबंध में किसी प्रकार का लेन-देन न करें। उक्त संपत्ति के संबंध में किया गया कोई भी लेन-देन यूको बैंक के प्रभाराधिकार शुल्क के अधीन रहेगा, जो कि **दिनांक 01-07-2025 तक देय राशि रु. 3,66,99,495.95/- (रुपये तीन करोड़ छासठ लाख निन्यानवे हजार चार सौ पंचानवे और पंचानवे पैसे मात्र) सहित, (01-07-2025 तक के ब्याज सहित)** तथा इसके

संपत्ति का विवरण

१. नीचे सूचीबद्ध प्लांट एवं मशीनरी तथा कारखाना परिसर में मौजूद लेकिन सूचीबद्ध न की गई अन्य सभी मशीनरी पर हाइपोथिकेशन (गिरवी अधिकार)।

1	६३ टन क्षमता की न्यूमेटिक प्रेस बिल्टइन PLC एवं टच स्क्रीन सहित, ५ एच.पी. एवं ७.५ एच.पी. मोटर सहित, बिल्टइन इलेक्ट्रिक पैनल सहित, ऑटो लुब्रिकेशन युक्त एल्युमिनियम फॉईल फूड कंटेनर बनाने की प्रेस मशीन, डेकोइलर, सर्वो फीडिंग यूनिट, कोलेटर टेबल एवं स्क्रैप एस्पिरेटर सहित।
2	४३ टन क्षमता की न्यूमेटिक प्रेस तथा ऑटो लुब्रिकेशन युक्त एल्युमिनियम फॉईल फूड कंटेनर बनाने की प्रेस मशीन, डेकोइलर, सर्वो फीडिंग यूनिट, कोलेटर टेबल एवं स्क्रैप एस्पिरेटर सहित।
3	७५० एमएल २ कॅव्हिटी मोल्ड.
4	४५० एमएल ४ कॅव्हिटी मोल्ड.
5	६६० एमएल २ कॅव्हिटी मोल्ड.
6	२५० एमएल २ कॅव्हिटी मोल्ड.
7	ग्रीस एवं अन्य उपकरण।
8	कारखाना परिसर में उपलब्ध अन्य सभी मशीनरी।

२. समस्त कच्चे माल, प्रक्रियाधीन माल (WIP) एवं तैयार माल के स्टॉक तथा सभी बुक डेब्ट्स (प्राप्य राशि), उपभोज्य भंडार एवं स्पेयर्स पर हाइपोथिकेशन (गिरवी अधिकार)।

दिनांक : 20.02.2026
स्थान : सौसर (म.प्र)

अधिकृत अधिकारी
यूको बैंक